

F-07-08 F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O

वर्ग अनुमोदन सं. : 791 का संशोधन सहित नवीकरण Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 791

BENGALURU - 560 037.

विषय / Sub: बैटरी सेकेण्डरी निकल कैड्मियम वेन्टेड, सिन्टर्ड प्लेट 24 वी, 40 एएच (01 घंटा रेट)
Battery Secondary Nickel Cadmium Vented, Sintered Plate 24 V, 40 Ah (1 Hour Rate)

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हाई एनर्जी बैटरीस (इंडिया) लिमिटेड, पक्कुडी रोड, मत्तूर इंडिस्ट्रियल एस्टेट-622 515, पुदुक्कोट्टाई जिला, तिमल नाडु, द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित ''बैटरी सेकेण्डरी निकल कैिड्यायम वेन्टेड, सिन्टर्ड प्लेट 24 वी, 40 एएच(01 घंटा रेट)'' पार्ट सं.: एनसी-001 और सेल पार्ट सं.: एनसी-40 को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-791, दिनांक 30 दिसंबर 1996, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 791 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-791/4आर, दिनांक 19 फरवरी 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी।

This is to state that the "Battery Secondary Nickel Cadmium, Vented, Sintered Plate 24 V 40 Ah (1 Hour Rate)" bearing the Part No.: NC – 001 and Cell Part No.: NC–40, designed, developed and manufactured by M/s. High Energy Batteries (India) Limited, Pakkudi Road, Mathur Industrial Estate – 622 515, Pudukkottai District, Tamil Nadu was issued with Type Approval No.: 791 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA–791, dated: 30th December 1996. It was subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA – 791/4R, dated:19 February 2013 with its validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जून 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 मई 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलत करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(वायुयान), सेमिलैक, मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु- 560 037, से अनुरोध करना होगा।

ਪ੍ਰਬ/Page 01 of 02

पृष्ठ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सਂ/.TA No.: 791

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st June 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st May 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Marathahalli Colony Post, Bengaluru – 560 037three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए–791, दिनांक 30 दिसंबर 1996 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-791, dated: 30^{th} December 1996 is **amended** as stated herewith.

"[अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदनएसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru–560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA - 791/5R

दिनांक/Date : 2 & June 2018

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

Hor IR

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)